नानूराम बनाम सरकार

23-12-19 विद्वान अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष तहसील कोलायत के समक्ष वर्ष 2003 में बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 24–03–2003 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से 36 बीघा अनकमाण्ड भूमिका पात्र मानते हुए चक 14 बीएसडी के मुरब्बा नम्बर 46/39 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 46/30 के किला नम्बर 15 ता 25 में 16 बीघा इस प्रकार कुल 36 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 21–02–2004 को कर दिया गया। उक्त आवंटन आज दिनांक तक खारिज नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि जोकि आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांटको आवंटित की गई थी, के आवंटन आदेश/पट्टा जारीकरने हेतु समय–समय पर निवेदन किया जाता रहा है परन्तु आज दिनांक तक आवंटन पट्टा जारी नहीं किया गया है, जबकि वादग्रस्त भूमि के आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा जारी करने का दायित्व अदालत मातहत का था।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलांट के पक्ष में आवंटन पट्टा जारी किया गया वरन् इसके विपरीत अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर के अन्य व्यक्ति को आवंटित करने की कार्यवाही की जा रही है। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में दौराने अपील यदि वादग्रस्त भूमि का अन्य व्यक्ति को आवंटन किया गया तो अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा व प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियॉ उत्पन्न होंगी। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन पट्टा अपीलांट के पक्ष में जारी करने के आदेश प्रदान करावें।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–02–2004 के विरूद्ध अपील दिनांक 11–09–2019 को पेश की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवांटन के पश्चात् उक्त भूमि का पट्टा अपीलांट को जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को आवंटन पट्टा जारी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही चाराजोई करनी

चाहिए थी। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषाक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 21–02–2004 को वादग्रस्त भूमि चक 14 बीएसडी के मुरब्बा नम्बर 46/39 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 46/30 के किला नम्बर 15 ता 25 में 16 बीघा इस प्रकार कुल 36 बीघा अनकमाण्ड का आवंटन किया गया। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन पश्चात् आवांटन पट्टा/आवंटन आदेश जारी करने हेतु समय–समय पर अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया जाता रहा है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के हक में आवंटन पट्टा जारी करने के स्थान पर वादग्रस्त भूमि अन्य को आवंटित करने की कार्यवाही की जा रही है।

इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम यह निर्देश देना उचित पाते है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समद्वा अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। अदालत मातहत अपीलांट के अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के दो माह की अवधि के भीतर–भीतर विधि सम्मत निर्णय पातिर करें। तब तक वादग्रस्त भूमि चक 14 बीएसडी के मुरब्बा नम्बर 46/39 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 46/30 के किला नम्बर 15 ता 25 में 16 बीघा इस प्रकार कुल 36 बीघा अनकमाण्ड के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे व अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(रामरतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.01.01 15:54:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: